



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-13012026-269288
CG-UP-E-13012026-269288

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947

No. 152]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 12 जनवरी, 2026

(प्रकाशन के बाद यह अधिसूचना दिनांक 11.09.2024 को ई-राजपत्र अधिसूचना सं० सी.जी.-यू.पी.-अ-12092024-257092 में प्रकाशित पिछले अनुसूची की जगह लेगी)

का.आ. 162(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के पत्र के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के तहत अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)/सिद्धार्थनगर को भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम अधिकारी नामित किया गया था।

अब उनके स्थान पर समान प्राधिकारी का उपयोग करते हुए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर को सक्षम अधिकारी नामित किया जाता है। राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य में खलीलाबाद — बहराईच खण्ड को नई रेल लाइन की विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्र०सं०	सक्षम अधिकारी	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	“विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर”	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W/Con/247/BG/G/LA/Dumariyaganj-Bansi/Spl.Project]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, 12th January, 2026

**(AFTER PUBLICATION, THIS NOTIFICATION WILL REPLACE THE PREVIOUS SCHEDULE
PUBLISHED IN E-GAZETTE NOTIFICATION NO. CG-UP-E-12092024-257092 DT. 11.09.2024)**

S.O. 162(E).—The Central Government, exercising the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), had designated the Additional District Magistrate (Finance and Revenue)/Siddharthnagar as the competent authority for acquisition of land under the Act.

Using the same authority, now Special Land Acquisition officer/Siddharthnagar is nominated competent authority in place of Additional District Magistrate (Finance and Revenue)/Siddharthnagar. In respect of the Special Railway Project of new Railway line between Khalilabad - Bahraich section in the State specified in column (4) of the Table below, from the date of its publication in the Official Gazette, the officer mentioned in column (2) is hereby authorised as the competent authority to discharge the functions as such authority under the said Act for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

SCHEDULE

Special Railway Project

S.No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	“Special Land Acquisition Officer/ Siddharthnagar”	Siddharthnagar	Uttar Pradesh

[F. No. W/Con/247/BG/G/LA/Dumariyaganj-Bansi/Spl.Project]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Construction